



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
Email: sro.lucknow@esic.nic.in Website: www.esic.nic.in



सत्यमेव जयते

उप क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, क.रा.बी.नि चिकित्सालय
परिसर, सरोजनी नगर, लखनऊ, उ. प्र.- 226023
Sub Regional Office, 2nd Floor, E.S.I.C. Hospital Campus,
Sarojini Nagar, Lucknow, U.P.- 226023

30उ.क्षे.का/.लख/.प्रशा2023/ एनुअल ट्रान्सफर पालिसी/.

दिनांक18-03-2025 :

परिपत्र

विषय: Seeking options for choice stations through online module from the officials on administrative side of ESI Corporation drawing scale of pay corresponding to Group "C" officials of Central Government upto the cadre of Assistant for Annual General Transfer within the region (Intra Region) for the Transfer Year-2025 .

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के पत्र संख्या: A-33/19/2/Transfer Policy/2022-Estt- II-Part(2) दिनांक 16.03.2025 द्वारा जारी परिपत्र उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालयों के सभी अधिकारियों, शाखा प्रबंधको एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ परिचालित किया जा रहा है।

On the above mentioned subject Circular issued by Headquarters' Employees' State Insurance Corporation, New Delhi letter no. A-33/19/2/Transfer Policy/2020-Estt- II- Part(2) dated 16.03.2025 is being circulated for the information and compliance of all the officers ,branch managers ,employees of the sub regional office , Lucknow and branch offices under its jurisdiction .

उपर्युक्त संदर्भित मुख्यालय का परिपत्र सभी कर्मिकों के आवश्यक अनुपालन हेतु इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

Above referred Headquarters' circular is attached with this circular for necessary compliance of all employees.

(शुभम गुप्ता)

उप निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

1. - कर्मचारी राज्य बीमा निगम , उप क्षेत्रीय कार्यालय ,लखनऊ के सभी शाखा अधिकारियों,एवं कार्यालय अधीक्षकों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ।
2. - कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय ,लखनऊ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी शाखा कार्यालयों के शाखा प्रबंधको को सूचनार्थ।

3- सूचना
पट्ट।

